UPVR010062252019

Presented on : 25-07-2019
Registered on : 25-07-2019
Decided on : 06-06-2026
Duration : 6 years, 10 months, 12 days

IN THE COURT OF
Adj F.T.C.II (For trying cases of crime against women)
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sunil Kumar -III)

Criminal Revision -Old/214/2019

1.राकेश वर्मा पुत्र स्व० बेचन वर्मा,
निवासी-मकान नंबर-एस० 2/377 सिकरौल, थाना-कैण्ट, शहर-वाराणसी।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1.उत्तर प्रदेश राज्य,
2.अजय कुमार सिंह पुत्र रामविलास सिंह,
निवासी-मकान नंबर-एस० 2/376 ए1-ए-2 सिकरौल, थाना-कैण्ट, शहर-वाराणसी।
3.उपेन्द्र सिंह पुत्र स्व० राममूर्ति सिंह,
निवासी-ग्राम परियावां, जनपद-जौनपुर।
4.शिवम सिंह उर्फ कक्कू पुत्र उपेन्द्र सिंह,
निवासी-ग्राम परियावां, जनपद-जौनपुर।
5.राकेश सिंह पुत्र स्व० मनिकराज सिंह,
निवासी-ग्राम गुतवन, जनपद-जौनपुर।
6.करन सिंह पुत्र राकेश सिंह,
निवासी-ग्राम गुतवन, जनपद-जौनपुर।
7.रामविलास सिंह पुत्र स्व० जगन्नाथ सिंह,
निवासी-मकान नंबर-एस० 2/376 ए1-ए-2 सिकरौल, थाना-कैण्ट, शहर-वाराणसी।
8.सात अन्य काला कोट पहने हुए अज्ञात व्यक्ति जिनका नाम व पता नहीं मालुम देखकर पहचान सकते हैं।

.....विपक्षीगण।

निगरानी अन्तर्गत धारा-397 दंड प्रक्रिया संहिता।
सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या-115/2019
सम्बन्धित आदेश दिनांकित-16.07.2019
थाना-कैण्ट, जिला-वाराणसी।

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.05 12:52:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा-397 दंड प्रक्रिया संहिता</u>

.....

<u>निर्णय</u>

01. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-07 वाराणसी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दंड प्रक्रिया संहिता संबंधित प्रकीर्ण वाद संख्या-115/2019 राकेश वर्मा बनाम अजय कुमार सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांकित-16.07.2019 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

02. संक्षेप में निगरानी कागज संख्या-3क मय शपथपत्र 6ख के आधार इस प्रकार है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित-16.07.2019 कानून के विरूद्ध व अवैधानिक तौर पर बिना निगरानीकर्ता को सुने और बिना किसी कागजात का परिशीलन किये किया गया है। निगरानीकर्ता ने उपरोक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दंड प्रक्रिया संहिता विपक्षीगण 2 ता 8 के विरुद्ध बिल्कुल सही जायज व वैधानिक तौर पर और निगरानीकर्ता को मारने-पीटने आदि के सम्बन्ध में दाखिल किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त मुकदमे में समस्त कागजात मेडिकल रिपोर्ट वगैरह लगाया गया था किन्तु विद्वान विचारण न्ययाालय ने बिना कागजात व तथ्यों के अवलोकन किये त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त किया जावे।

03. निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में-

1- एक किता विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित-16.07.2019 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 4-ख/2,

04. विपक्षी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

05. इस न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

06. विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार निगरानी न्यायालय द्वारा निगरानी मामले में केवल विधिक बिन्दुओं को देखा जाना होता है। प्रस्तुत मामले में मात्र यह देखा जाना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित-16.07.2019 पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि की गयी है अथवा नही?

07. पत्रावली में प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत निगरानी कागज संख्या-3क प्रस्तुत करके विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित-16.07.2019 को अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर यह आदेश पारित करने का कथन किया है।

08. निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में कथन किया है कि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दंड प्रक्रिया संहिता विपक्षीगण 2 ता 8 के विरुद्ध बिल्कुल सही जायज व वैधानिक तौर पर और निगरानीकर्ता को मारने-पीटने आदि के सम्बन्ध में दाखिल किया गया है। किन्तु विद्वान विचारण न्ययाालय ने बिना कागजात व तथ्यों के अवलोकन किये त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है।

09.पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अवधारित किया है कि सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार आवेदक द्वारा पूर्व में मुकदमा अपराध संख्या-386/2015 दर्ज कराया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा आवेदक उपरोक्त तथा विपक्षी के बीच जमीन का विवाद है, जो न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०) वाराणसी के यहाँ मुकदमा नंबर-312/2011 चल रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कट्टे से फायर करने का वर्णन किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी चिकित्सीय आख्या घटना के बावत प्रस्तुत नहीं की गयी है। आवेदक की तरफ से प्रार्थना पत्र असत्य कथनों के आधार पर मात्र पेशबन्दी में प्रस्तुत किया गया है और उसके प्रार्थनापत्र के आधारहीन होने के कारण निरस्त कर दिया है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह अवधारित किया है कि पक्षों ने पूर्व में मुकदमा अपराध संख्या-386/2015 दर्ज कराया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा आवेदक उपरोक्त तथा विपक्षी के बीच जमीन का विवाद है, जो न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०) वाराणसी के यहाँ मुकदमा नंबर-312/2011 चल रहा है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत एवं तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर, (2012) 9 एस0सी0सी0 460 (पैरा 12, 13, 18 एवं 20)** में मत व्यक्त किया है कि निगरानी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश घोर त्रुटिपूर्ण हो या विधिक प्राविधानों का अनुपालन न किया गया हो या विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य से परे हो या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग पक्षपातपूर्ण व अनौचित्यपूर्ण रूप से किया गया हो।

12. इसी प्रकार से **स्टेट फर्म कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड बनाम निज्जर एग्रो फूड्स लिमिटेड, (2005) 12 एस0सी0सी0 506** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था स्थापित की है कि निगरानी न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार नही है कि वह अवर न्यायालय के निष्कर्षो को निरस्त कर अपना निष्कर्ष दे। धारा 397 से 401 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय को सीमित अधिकार है और निगरानी न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नही कर सकती।

13. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के गम्भीरतापूर्वक अवलोकन से इस निगरानी न्यायालय की राय में उक्त प्रश्नगत आदेश तर्कसंगत, विधि सम्मत् एवं न्याय के प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुक्रम में है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का विधि सम्मत् प्रयोग करते हुए ही प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई औचित्यहीनता या अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानी न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित-16.07.2019 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाती है। परिणामतः यह दाण्डिक निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-214/2019 राकेश वर्मा बनाम अजय कुमार सिंह व अन्य निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायलय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित-16.07.2019 पुष्ट किया जाता है। इस दाण्डिक पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः-06.06.2026

(सुनील कुमार III)
अपर जिला न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0),
न्यायालय सं.-2 वाराणसी।
यू0पी0-01826

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः-06.06.2026

(सुनील कुमार III)
अपर जिला न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0),
न्यायालय सं.-2 वाराणसी।
यू0पी0-01826

Steno-Dilip Keshari